



①
108

राजस्व निगरानी प्रकरण क्र. : /2017

प्रस्तुति दिनांक : 25.04.2017

05/05/17

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

R7103-PB-17

श्रीमती सुनीता पति श्री महेश अग्रवाल

उम्र वयस्क, धंधा व्यापार,

निवासी - 160-161, भक्त प्रहलाद नगर,

इन्दौर म.प्र.

— आवेदक/प्रार्थी

विरुद्ध

कार्यालय राजस्व इन्दौर संगम इन्दौर

श्री विष्णु चौराहा

प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 05-05-2017

को प्रस्तुत।

296

05-05-2017

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

Noted
21-06-2017
[Signature]

- 1- म.प्र. शासन द्वारा उप-पंजीयक
उप जिला-1, पंजीयन कार्यालय,
नवीन कलेक्टोरेट भवन, मोती तबेला,
इन्दौर म.प्र.
- 2- श्रीमती कृष्णाबाई बेवा प्यारेलाल चमार
उम्र वयस्क, व्यवसाय कृषि
निवासी ग्राम सिमरोल, तहसील महू,
जिला इन्दौर
- 3- श्री राजू पिता प्यारेलाल,
उम्र वयस्क, व्यवसाय कृषि
निवासी ग्राम सिमरोल, तहसील महू,
जिला इन्दौर
- 4- अमित पिता प्यारेलाल
उम्र वयस्क, व्यवसाय कृषि
निवासी ग्राम सिमरोल, तहसील महू,
जिला इन्दौर
- 5- सरीता पिता प्यारेलाल
उम्र वयस्क, व्यवसाय कृषि
निवासी ग्राम सिमरोल, तहसील महू,
जिला इन्दौर

सुनीता अग्रवाल
— प्रत्यर्थागण/रेस्पाडेन्ट/
अनावेदकगण

[Signature]

हस्ताक्षर

(7)

(3)

2

राजस्व निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959
सहपठित प्रावधान भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 एवं मध्यप्रदेश
लिखिततों के न्यून मूल्यांकन निवारण नियम, 1975

माननीय अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस,
इन्दौर द्वारा धारा 33 इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 एवं सहपठित प्रावधान
म.प्र. लिखिततों के न्यून मूल्यांकन निवारण अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत
पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक 34-बी-103/14-15/33 में पारित आदेश
दिनांक 27.02.2017 से व्यथित होकर यह निगरानी याचिका माननीय
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

[Handwritten Signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(7)

हस्त

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक

R7103PB247

तहसील

सुनील

विरुद्ध

शानन

जिला

इंदौर

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक

जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक

तहसील का प्रकरण क्रमांक

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
21-6-17	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला</p> <p>के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक</p> <p>के विरुद्ध श्री विजय चौधरी</p> <p>के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/..... रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं / नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p> <p>प्रस्तुतकार</p> <p>आवेदकपक्ष की ओर से सूचना उपरांत कोई भी उपायित नहीं। तीन बार पुनार लगावाई गई, फिर भी कोई उपायित नहीं। अतः उक्त अदम पेंच की में खारिज किया जाता है।</p>	<p>21-6-17</p> <p>दिनांक</p> <p>अध्यक्ष</p>